

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चोमू, जिला जयपुर
आसीन अधिकारी :- हिम्मत सिंह

सं.सं. 09/2017

उनवान

सुरजमल पुत्र श्री रुडिया, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।

वादी

1. गजानन्द पुत्र हनुमान सहाय
2. नन्ही पत्नी हनुमान सहाय
3. ग्यारसी लाल पुत्र रुडिया
4. जयनारायण पुत्र रुडिया

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।

5. उप पंजियक चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
7. सिंडिकेट बैंक फतेहपुरा जरिये प्रबन्धक सिंडिकेट बैंक फतेहपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
8. गीता देवी पत्नी सुरजमल, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।


प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक- 16.10.2019

व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 23.05.2018 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चोमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चोमू से कुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। जिस पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने अपनी बहस में कथन किया किया है कि वाद में तहसीलदार चोमू द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चोमू द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील पक्षकार को कोई एतराज नहीं है तथा कुरेजात अनुसार दावों को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है।

अतः तहसीलदार चोमू द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार किये जाते हैं तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है- यह की विवादित भूमि हाल खाता संख्या 146 के आराजी खसरा नम्बर 523 रकबा 0.23 हेक्टेयर कुल कित्ता 1 का रकबा 0.23 हेक्टेयर एवं हाल खाता संख्या 449 जिसके हाल खसरा नम्बर 524 रकबा 0.48 हेक्टेयर कुल कित्ता 1 का



उपखण्ड अधिकारी
चोमू, जिला जयपुर

रकबा 0.48 हैक्टेयर, तथा हाल खाता संख्या 81 के खसरा नम्बर 521 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 522/1281 रकबा 0.02 हैक्टेयर का कुल किता 2 का कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम कुशलपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. सुरजमल पुत्र रुडिया जाति हरि, ब्राह्मण सा. देह खातेदार को ख.न. 521/1 रकबा 0.0186 हैक्ट., ख.न. 522/1281/1 रकबा 0.010 हैक्ट., ख.न. 523/2 रकबा 0.0329 हैक्ट., कुल किता 3 का कुल रकबा 0.0615 हैक्ट., जिसका कुल लगान 2.83 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. ग्यारसीलाल पुत्र रुडिया 143/857, जयनारायण पुत्र रुडिया 714/857 जाति हरि ब्राह्मण सा. देह खातेदार जयनारायण का हिस्सा राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा को ख.न. 521/2 रकबा 0.1614 हैक्ट., ख.न. 522/1281/2 रकबा 0.010 हैक्ट., कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1714 हैक्ट., जिसका कुल लगान 7.88 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में सफेद रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. गजानन्द पुत्र हनुमानसहाय 821/1971 नन्ही देवी पत्नी हनुमान सहाय 821/1971 ग्यारसी लाल पुत्र रुडिया 329/1971 हरि ब्राह्मण सा. देह खातेदार नन्हीदेवी व गजानन्द का हिस्सा राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा को ख.न. 523/1 रकबा 0.1971 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1971 हैक्ट., जिसका कुल लगान 9.07 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. गीतादेवी पत्नी सुरजमल 2400/3643 सुरजमल पुत्र रुडिया 1243/3643 हरि ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा (सम्पूर्ण खाता) को ख.न. 524/1 रकबा 0.3643 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.3643 हैक्ट., जिसका कुल लगान 16.76 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
5. गजानन्द पुत्र हनुमान सहाय 386/1157 ग्यारसीलाल पुत्र रुडिया 193/1157 नन्हीदेवी पत्नी हनुमानसहाय 386/1157 हनुमान सहाय पुत्र रुडिया जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन गजानन्द व नन्हीदेवी का हिस्सा सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा को ख.न. 524/2 रकबा 0.1157 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1157 हैक्ट., जिसका कुल लगान 5.32 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमू को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


हिम्मत सिंह अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला जयपुर
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू (जयपुर)

अन्तिम डिक्री मुकदमा इबदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाबा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चोमू व
अजलास हिम्मत सिंह आरएएस

सुरजमल पुत्र श्री रूडिया, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील
चोमू, जिला जयपुर।

वादी

1. गजानन्द पुत्र हनुमान सहाय
2. नन्ही पत्नी हनुमान सहाय
3. ग्यारसी लाल पुत्र रूडिया
4. जयनारायण पुत्र रूडिया

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।

5. उप पंजियक चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चोमू, तहसील चोमू, जिला
जयपुर।
7. सिंडिकेट बैंक फतेहपुरा जरिये प्रबन्धक सिंडिकेट बैंक फतेहपुरा, तहसील चोमू, जिला
जयपुर।
8. गीता देवी पत्नी सुरजमल, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील
चोमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 09/2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी
मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म
दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. सुरजमल पुत्र रूडिया जाति हरि ब्राह्मण सा. देह खातेदार को ख.न. 521/1 रकबा
0.0186 हैक्ट., ख.न. 522/1281/1 रकबा 0.010 हैक्ट., ख.न. 523/2 रकबा 0.0329
हैक्ट., कुल किता 3 का कुल रकबा 0.0615 हैक्ट., जिसका कुल लगान 2.83 रुपये,
जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती है।
2. ग्यारसीलाल पुत्र रूडिया 143/857, जयनारायण पुत्र रूडिया 714/857 जाति हरि
ब्राह्मण सा. देह खातेदार जयनारायण का हिस्सा राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा फतेहपुरा
को ख.न. 521/2 रकबा 0.1614 हैक्ट., ख.न. 522/1281/2 रकबा 0.010 हैक्ट.,
कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1714 हैक्ट., जिसका कुल लगान 7.88 रुपये, जो
संलग्न नजरी नक्शे में सफेद रंग से दर्शाया गया है, दी जाती है।
3. गजानन्द पुत्र हनुमानसहाय 821/1971 नन्ही देवी पत्नी हनुमान सहाय 821/1971
ग्यारसी लाल पुत्र रूडिया 329/1971 हरि ब्राह्मण सा. देह खातेदार नन्हीदेवी व

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

- गजानन्द का हिस्सा राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा फतेहपुरा को ख.नं. 523/1 रकबा 0.1971 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1971 हैक्ट., जिसका कुल लगान 9.07 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती है।
4. गीतादेवी पत्नी सुरजमल 2400/3643 सुरजमल पुत्र रुडिया 1243/3643 हरि ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा फतेहपुरा (सम्पूर्ण खाता) को ख.नं. 524/1 रकबा 0.3643 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.3643 हैक्ट., जिसका कुल लगान 16.76 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती है।
5. गजानन्द पुत्र हनुमान सहाय 386/1157 ग्यारसीलाल पुत्र रुडिया 193/1157 नन्हीदेवी पत्नी हनुमानसहाय 386/1157 हनुमान सहाय पुत्र रुडिया जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन गजानन्द व नन्हीदेवी का हिस्सा सिंडीकेट बैंक शाखा फतेहपुरा को ख.नं. 524/2 रकबा 0.1157 हैक्ट. कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1157 हैक्ट., जिसका कुल लगान 5.32 रूपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती है।

बसत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 16.10.2019 का जारी किया गया।



दस्तावेज अधिकारी
 ज्योति, जिला जयपुर

	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दाया	2		स्टाम्प अर्जी दाया		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत्तफरिक			मुत्तफरिक		
मीजान	3		मीजान	1	

नोट- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

दस्तावेज अधिकारी
 ज्योति, जिला जयपुर

